चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

107, चन्दर नगर, देहरादून– 248001

Tel:0135-2723026, Fax-0135-2723027, 2723028, E-mail:- medicaleducation11@gmail.com

पंत्राकः–　　/चि0शि0/03(मेडिकल)/73/2016　　　　　　　दिनांकः–　जुलाई　2025

अनुपस्थित बॉण्डधारी चिकित्सको हेतु चेतावनी/नोटिस

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–2प/रा0पु0/85/2022/18500 दिनांक 04.07.2025 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कालेज, देहरादून, श्रीनगर एवं हल्द्वानी से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले बॉण्डधारी चिकित्सक जिनके द्वारा प्रवेश के समय भरे गये बॉण्ड मे उल्लिखित शर्तो की व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के अधीन दुर्गम/अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाऐं प्रदान की जानी थी, परन्तु जिन बॉण्डधारी चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाऐं प्रदान नही की जा रही है तथा अनुपस्थित चल रहे है उन्हे निर्देशित किया जाता है कि अनुपस्थित बॉण्डधारी चिकित्सक 15 दिनो के भीतर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित चिकित्सालय/स्थानो में देना सुनिश्चित करे, अन्यथा की दशा मे अनुपस्थित बॉण्डधारी चिकित्सको के विरूद्व बॉण्ड मे उल्लिखित शर्तो के अध्यधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ बॉण्ड की सेवा शर्तो के अनुसार वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अनुपस्थित बॉण्डधारी चिकित्सकों की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुपस्थित बॉण्डधारी चिकित्सको की सूची निदेशालय की वेबसाईट www.medicaleducation.uk.gov.in पर अपलोड़ की जा रही है।

निदेशक
चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड